

Page 1

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 100/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/186

दायर दिनांक :- 28.04.2025

निर्णय दिनांक :- 10.05.2025

1. आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित:- 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

**-:: निर्णय ::-**

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादी के नाम तालरिया में खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 442 द्वारा खसरा नम्बर 1965/3346 आईदान पुत्र खेताराम जाति माली सा. देह उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम तालरिया गिरदावरी चौसाला सम्वत 2051 से 2062 में खसरा नम्बर 1965/3346 रकबा 75-00 बीघा आईदान पुत्र खेताराम जाति माली देह खातेदार दर्ज है गिरदावरी चौसाला 2063-2066 बनाते समय खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा आईदान पुत्र खेताराम जाति माली खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो आज दिन तक गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 391 खसरा नम्बर 1965/3346 रकबा 75-00 बीघा आईदान पुत्र खेताराम जाति माली गैर खातेदार दर्ज है। वादी खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1965/3346 रकबा 75-00 बीघा आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली के नाम से खातेदार दर्ज है। लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीग का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी आईदानराम के बयान पी.डब्ल्यू-1 एवं पड़ोसी खातेदार हजारीराम के बयान पी.डब्ल्यू-2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

सुखाराम पिण्डेल  
पीठासीन अधिकारी  
बाप, फलोदी

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 442 के जरिये दर्ज की गयी। जो वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में गिरदावरी चौसाला 2051-2062 में खातेदारी की दर्ज थी परन्तु गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 तैयार करते समय वादी को खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1965/3346 रकबा 75-00 बीघा आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली के नाम से खातेदार दर्ज है। लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि वादी आईदानराम के नाम से आवंटन हुई थी तत्पश्चात गिरदावरी चौसाला 2051-2062 में उक्त भूमि खातेदारी की दर्ज है परन्तु गिरदावरी चौसाला 2063-2066 तैयार करते समय वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में कथन किया है। इसी अनुसार वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

#### आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्ली पर्या अलग से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं  
बाप (फलोदी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

## डिगरी बमुकदमें इबतदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला-फलोदी  
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. आईदानराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

### राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या:-100/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री बुधाराम विश्णोई मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1965/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर  
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख  
को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2025 जारी की गई।



सहायक कलक्टर (सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)  
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।